आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
20/4/2022	पत्रावली पेश हुई वकुलाय उप.। अधिवक्तागण का वर्क सस्पेंड होने के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 21/4/2022 को पेश हो।	
21.4.22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली व मौका कमिश्नर प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर नियुक्त करने का मात्र साक्ष्य एकत्रित करने के लिये पेश किया गया है। साक्ष्य एकत्रित करने के लिये मौका कमिश्नर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त करने मौका कमिश्नर खारीज किया जाता है। मूल प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की बहस के दौरान प्रार्थी वकील ने कथन किया कि ग्राम कोट की भूमि खसरा नं० 42 रकबा 1.29 है० में से प्रार्थी ने 0.77 है० भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय की। क्रय के समय से प्रार्थी का कब्जा काश्त है और राजस्व रिकार्ड में रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। विक्रय पत्र अनावेदकगण नं. 1 लगायत 5 ने प्रार्थी के हक में तस्दीक करवाया था लेकिन अनावेदकगण आवेदक के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। अतः प्रार्थी और आवेदक को बेदखल करना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जावे। अप्रार्थीगण वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अनावेदकगण [illegible] लगायत 5 ने प्रार्थी प्रमोद कुमार को [illegible] प्रमोद कुमार ने अनावेद[illegible] प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थी का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है। अनावेदकगण द्वारा प्रमोद कुमार को अपनी किसी भी भूमि का कभी कोई कब्जा नहीं दिया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:38:53 IST
Reason: SelfAttested

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	प्रमोद कुमार ने अनावेदकगण की भूमि को गलत रूप से हड़पने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075-78 ग्राम कोट में प्रार्थी व अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 5 शामलाती खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 52 रकबा 1.29 है. का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। उक्त भूमि का वाद न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकूक के संबंध में निर्णय तो दावा की विधिवत सुनवाई के पश्चात तय होना है। विवादित भूमि को लेकर पक्षकारान में अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो गया है। अतः अनावेदकगण को दावा के निर्णय तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। **आदेश** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से दावा का निर्णय होने तक पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम कोट पटवार हल्का नांगल के भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 1.29 है. के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] 21.4.22	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:38:53 IST
Reason: SelfAttested